न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 65/2024

वादीनी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

रूकमो देवी पत्नि जेठाराम जाति कुम्हार, निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. चम्पालाल पुत्र भंवरा 2. निम्बसिंह पुत्र भंवरा जातियान पुरोहित निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा भूंका भगतसिंह 4. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 04 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 24.07.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम डेरपाना के खेत खसरा सं. 96/2 रकबा 7.5803 हैक्टर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 27.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

Signature Not Verified

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा ... माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि का मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:12 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह ग्राम डेरपाना के खेत खसरा सं. 96/2 रकबा 7.5803 हैक्टर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	रूखमोदेवी पत्नि जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार।	डेरपाना	96/2	2.5267	बा.दो.	–	लाल
2.	चम्पालाल 1/2, निम्बसिंह 1/2 पुत्र भंवरा जाति पुरोहित सा.देह खातेदार। रहन– स्टेट बैंक ऑफ इडिया शाखा भूंका भगतसिंह।	डेरपाना	96/2	5.0536	बा.दो.	–	हरा

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:12 IST
Reason: SelfAttested